यूजेवीएन लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
UJVN Limited
(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)
कार्यालय उपमहाप्रबन्धक(औ0सं0), "उज्जवल", महारानी बाग, जी0एम0एस0रोड, देहरादून–248006(उत्तराखण्ड)
Office of the Dy. General Manager(IR), "Ujjwal", Maharani Bagh, G.M.S. Road, Dehradun-248 006(Uttarakhand)
CIN No. U40101UR2001SGC025866
ISO 9001, 14001 Certified

OM

पत्रांकः M-1695 / यूजेवीएनएल / एचआर / आईआर — दिनांकः 10 –07–2024

विषयः हड़ताल निषिद्ध करने सम्बन्धी अधिसूचना।

समस्त महाप्रबन्धक / उपमहाप्रबन्धक,
यूजेवीएन लिमिटेड।

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन, ऊर्जा अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या 427 / I(2) / 2024–05–107 / 2003, दिनांक 03–07–2024 द्वारा उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–30, सन् 1966) की धारा–3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त आदेश के प्रकाशन की दिनांक से 6 मास की अवधि के लिये ऊर्जा के तीनों निगमों (यूजेवीएन लिमिटेड, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 एवं पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन आफ उत्तराखण्ड लि0) में समस्त श्रेणी की सेवाओं में तत्कालिक प्रभाव से हडताल निषिद्ध की गई है।

इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध करने का निर्देश हुआ है कि आप अपने स्तर से आवश्यकतानुसार संलग्न पत्र की अतिरिक्त प्रतियां करवाकर उपरोक्त अधिसूचना को अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों, विद्युत गृहों, विद्युत उप केन्द्रों के नोटिस बोर्डो पर समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों के सूचनार्थ चस्पा करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बबीता कोहली)
उपमहाप्रबन्धक(औ0सं0)

प्रतिलिपिः–
1– निजी सचिव, अध्यक्ष, यूजेवीएन लिमिटेड, उज्जवल, देहरादून।
2– निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड, उज्जवल, देहरादून।
3– समस्त निदेशक / समस्त अधिशासी निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड,।
4– वरि0 विधि अधिकारी(महाप्रबन्धक स्तर), यूजेवीएन लिमिटेड, उज्जवल, देहरादून।
5– कम्पनी सचिव, यूजेवीएन लिमिटेड, उज्जवल, देहरादून।
6– अधिशासी अभियन्ता(मुख्यालय), यूजेवीएन लिमिटेड, उज्जवल, देहरादून।

पंजीकृत कार्यालय : "उज्जवल", महारानी बाग, जी0एम0एस0रोड, देहरादून–248006 (उत्तराखण्ड), दूरभाष–0135–2763808, फैक्स–0135–2763508
Regd. Office : "Ujjwal", Maharani Bagh, G.M.S. Road, Dehradun-248006 (Uttarakhand), Phone-0135-2763808, Fax-0135-2763508

Scanned with OKEN Scanner

File No. ES2-MC[illegible]-Energy Department (Computer No. 45479)

1/221399/2024

1/221399/2024

उत्तराखण्ड शासन
ऊर्जा अनुभाग–2
संख्याः–427/1(2)/2024-05-107/2003
देहरादून, दिनांक 03 ~~मई~~ जुलाई 2024

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है.

अतएव, अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 1966) की धारा–3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के प्रकाशन के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए यूजेवीएन लिमिटेड, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन आफ उत्तराखण्ड लिमिटेड में समस्त श्रेणी की सेवाओं में तत्कालिक प्रभाव से हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा–3 की उपधारा (2) के अधीन यह भी आदेश भी देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

Signed by R. Meenakshi Sundaram
Date: 29-06-2024 10:45:26

(आर. मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

संख्याः–427/1(2)/2024-05-107/2003 तददिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. संयुक्त निदेशक, प्रभारी मुद्रण एवं लेख सामाग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को एक अंग्रेजी प्रति के साथ उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के आगामी अंक में विधायी परिशिष्ट भाग–4, खण्ड–ख में प्रकाशनार्थ प्रेषित। असाधारण गजट की 100 प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. प्रमुख सचिव, गृह उत्तराखण्ड शासन।
3. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
4. प्रबन्ध निदेशक, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 एवं उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को समस्त कार्यालयों के नोटिस बोर्ड में चस्पा करने का कष्ट करें।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
6. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड। समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
8. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
9. गार्ड फाइल।

Diary No. 3071 /MD/UJVNL/ Date 5/7/24

आज्ञा से,

(अतुल कुमार सिंह)
उप सचिव

Generated from eOffice by RAMESH SINGH BARTWAL, RO-Energy Section 2-RSB, REVIEW OFFICER, Energy Department on 03/07/2024 04:35 PM

Scanned with OKEN Scanner